

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230488
SG-DL-E-18102021-230488

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 214
No. 301]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943	[N. C. T. D. No. 214

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2021

सं.6/डीजीएसएस/2019/पीएचडब्ल्यूम-IV/एनवीबीडीसीपी/वीबीडीएस की अधिसूचना/4714.— जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस बात से संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी वेक्टर जनित रोग के फैलने का खतरा है ।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का विचार है कि तत्समय प्रवृत्त कानून के सामान्य प्रावधान वेक्टर जनित रोगों अर्थात मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी अन्य वेक्टर जनित रोग के प्रकोप और प्रसार को रोकने के लिए अपर्याप्त हैं।

इसलिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 के अधिनियम संख्या 03) की धारा 2 द्वारा और संयुक्त सचिव, भारत सरकार के दिनांक 26 मई 2016 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 14-4/2016-17/ NVBDCP/MTD/ मलेरिया उन्मूलन/पार्ट फाइल को ध्यान में रखते हुए, निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), भारत सरकार के दिनांक 7 जून 2016 के अर्ध-शासकीय 14-4/2016-17/ NVBDCP/MTD/ मलेरिया उन्मूलन/पार्ट फाइल तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 09 जून, 2016

के अर्ध-शासकीय संख्या 7-165/2016/NVBDCP/DEN/ मलेरिया उन्मूलन/पार्ट फाइल एवं इस संदर्भ में इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियमनों को बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** — (1) इन विनियमनों को “दिल्ली मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी भी वेक्टर जनित रोग रोकथाम और नियंत्रण” विनियमन, 2021 का कहा जाए।

(2) ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं** — (1) इन विनियमनों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “**संक्रमित क्षेत्र**” का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी वेक्टर जनित रोग से संक्रमित होने वाले किसी भी क्षेत्र से है।

(ख) “**विनियमन अधिकारी**” का अभिप्राय राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एनवीबीडीसीपी स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है।

(ग) “**नियंत्रण अधिकारी**” का अभिप्राय तीनों दिल्ली नगर निगमों के (डीएमसी) के नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के एमओएच (स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी) एवं दिल्ली छावनी बोर्ड के एसएचओ (स्टेशन स्वास्थ्य अधिकारी) से है।

(घ) “**निरीक्षण अधिकारी**” का अभिप्राय विनियमन 9 के अंतर्गत स्थानीय निकायों में कार्यरत मलेरिया निरीक्षक/सहायक मलेरिया निरीक्षक से है।

(ङ) “**संकटग्रस्त क्षेत्र**” से अभिप्राय किसी भी ऐसे क्षेत्र से है जिसे विनियमन 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(2) इन विनियमनों में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियत किया गया हो।

3. **संक्रमित या संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए अधिसूचना** — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की सिफारिश पर राजपत्र में अधिसूचित करते हुए घोषणा करती है—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोई भी ऐसा क्षेत्र जो संक्रमित क्षेत्र या संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में हो।

(ख) किसी भी संक्रमित क्षेत्र का कोई भी समीपस्थ क्षेत्र जिसमें राज्य सरकार का विचार है कि वहां मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी अन्य वेक्टर जनित रोग के फैलने का खतरा है।

4. **नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति** — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इन विनियमनों के अंतर्गत निर्धारित सभी या किसी भी उपाय को करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय निकायों को किसी भी संक्रमित या संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए एक नियंत्रक अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देती है।

5. **संक्रमित क्षेत्र की सूची का प्रकाशन तथा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी वेक्टर जनित रोग के प्रकोप की सूचना** — जब दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा की गई सिफारिश पर विनियमन 3 के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया हो तो प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), दिल्ली द्वारा ऐसे क्षेत्रों के विवरण के कारण को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। वह उसमें नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति और महामारी विज्ञान और कीट विज्ञानी जांच हेतु मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी अन्य वेक्टर जनित रोग के नियंत्रण, रोकथाम और प्रबंधन हेतु सक्रिय/निष्क्रिय निगरानी केंद्रों की स्थापना के संबंध में जानकारी भी विनिर्दिष्ट करेगा।

6. **मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी भी वेक्टर जनित रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में अधिसूचना** :- जब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी भी वेक्टर जनित रोगों का प्रकोप किसी भी स्थान पर अधिक बढ़ जाता है, तो केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकार, स्थानीय निकायों

(3 दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड), संगठित स्वास्थ्य क्षेत्र (रेलवे, ईएसआई आदि), निजी अस्पताल, निजी चिकित्सक और अन्य एजेंसियों की सभी स्वास्थ्य और नैदानिक सुविधाएं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी भी वेक्टर जनित रोग से पीड़ित व्यक्तियों का नाम, संपर्क विवरण और पते दिल्ली नगर निगमों के संबंधित उप-स्वास्थ्य अधिकारी या अन्य स्थानीय निकायों/एजेंसियों आदि में उनके समकक्ष को अधिसूचित करेंगे और वे क्रमशः संबंधित नियंत्रक अधिकारी/अधिकारियों को सूचित करेंगे।

7. वेक्टर जनित रोगों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली नगरपालिका परिषद के नामित नियंत्रक अधिकारी सभी वेक्टर जनित रोगों के आंकड़े संकलित करेंगे और विनियमन अधिकारी/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एसपीओ एनवीबीडीसीपी) को सूचित करेंगे।

8. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों संबंधी संदिग्ध या पुष्ट मामलों का निदान और प्रबंधन किए जाने की आवश्यकता है।

9. **विनियमन अधिकारी की भूमिका और उत्तरदायित्व** – विनियमन अधिकारी स्थानीय निकायों और भारत सरकार के साथ समन्वय करेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करेगा।

10. **नियंत्रण अधिकारी की भूमिका और उत्तरदायित्व** – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संभावित क्षेत्रों में और उसके आसपास स्थित किसी भी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में नियंत्रक अधिकारी :

क. प्रत्येक भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी एवं चिकित्सा व्यवसायी के लिए यह आवश्यक है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी भी वेक्टर जनित रोग संबंधी प्रत्येक मामले को जो उनके संज्ञान में आया हो, के बारे में वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नामित जिला नोडल अधिकारी को सूचित करेगा।

ख. मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी वेक्टर जनित रोग से पीड़ित होने वाले किसी भी व्यक्ति के रक्त की जांच की व्यवस्था करेगा और जैसा भी मामला हो, उसके उपचार के लिए तथा इस प्रकार के संदिग्ध मामलों को किसी भी अवेक्षण निगरानी अस्पताल, परामर्श संस्थान या उच्च संस्थानों को भी निर्दिष्ट करेगा।

ग. जिस क्षेत्र से इस तरह के संदिग्ध/पुष्ट मामलों की सूचना मिली है, उस क्षेत्र में गहन निवारक कार्रवाई करेगा।

घ. पशु आवास, गलियों, दुकानों, मलिन बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों या किसी अन्य प्रकार की छत वाली संरचनाओं इत्यादि सहित किसी भी प्रकार के परिसरों में निवारक कीटनाशक इनडोर छिड़काव सुनिश्चित करेगा।

ड. प्रभावित क्षेत्र में निवासियों, अस्थायी श्रमिकों, आकस्मिक आगंतुकों के लिए स्थिति की मांग के अनुरूप व्यापक स्तर पर रक्त परीक्षण सर्वेक्षण तथा दवा उपचार की व्यवस्था करेगा।

च. इस तरह के रोग के प्रकोप को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्माण स्थलों, सड़कों, भवनों, सिंचाई इत्यादि जैसे परियोजना स्थलों पर ठेकेदारों या नियोक्ताओं को इस प्रकार के दिशा-निर्देश देगा।

छ. वांछित क्षेत्र में इन रोगों के नियंत्रण हेतु निरीक्षण और सुधारात्मक उपाय करने तथा इस संबंध में निरीक्षण अधिकारी को की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।

ज. विनियमन अधिकारी को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

11 (1) कोई भी व्यक्ति –

(क) स्थिर या बहते पानी के किसी भी प्रकार का संचय नहीं करेगा जिसमें मच्छरों का प्रजनन हो सकता है।

(ख) मच्छरों की आनुवंशिकता को बढ़ाने में सहायक ऐसी गतिविधियां नहीं करेगा जो विनियमनों अथवा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों द्वारा निषिद्ध है।

(ग) किसी नए भवन (सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी) का अधिभोग नहीं कर सकता जब तक कि ऐसे परिसरों में मच्छर रोधी प्रणाली की आवश्यकता के संबंध में संबंधित स्थानीय निकाय के नियंत्रक अधिकारी से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जाए।

(2) किसी भी घर, भवन या झोपड़ी या भूमि के स्वामी या अधिभोगी

इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की सामग्री जैसे- बोटल, पोत, गन्ना, टायर या किसी भी तरह का टूटा हुआ या सही कंटेनर जिसके भीतर इस तरह से पानी इकट्ठा होने की संभावना है जिसमें कि मच्छर पैदा हो सकते हैं, को नहीं रखेगा।

(3) सड़कों, रेलवे, दूरसंचार, तटबंध आदि के निर्माण और मरम्मत के दौरान खोदे जाने के लिए आवश्यक सभी बोरों, गड्ढों को भरा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें पानी स्थिर न हो, जहां संभव हो और व्यावहारिक हो, बोर गड्ढों को साफ करके छोड़ दिया जाएगा और जल निकासी सुनिश्चित की जाएगी।

(4) किसी भी परिसर, संस्थान और कार्यालय या आवास इकाइयों में स्थिर या बहते पानी में मच्छरों के लार्वा, प्यूपे की प्राकृतिक मौजूदगी इस बात का प्रमाण होगी कि वहां मच्छर प्रजनन कर रहे हैं।

12. (1) निरीक्षण अधिकारी किसी भी स्थान के स्वामी, अधिभोगी को किसी भी स्थिर या बहते पानी के संचय की आवश्यक सूचना में निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर जिसमें मच्छर प्रजनन करते हैं, लिखित रूप में दे सकते हैं। इन परिस्थितियों में ऐसी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चौबीस घंटे के भीतर इस संबंध में निरीक्षण अधिकारी जैसा उचित समझे वैसी भौतिक, रासायनिक, जैविक और अन्य युक्तियों द्वारा उपाय करेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे उप-विनियमन (1) के तहत नोटिस दिया जाता है, वह उसमें उल्लिखित समय के भीतर ऐसी सूचना में निर्दिष्ट उपचार विधि को अपनाने

एवं उपाय करने से इनकार करता है या विफल होता है, तो निरीक्षण अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, स्वयं ऐसे उपाय कर सकता है या ऐसी उपचार-विधि अपना सकता है जिसमें संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी से ऐसा करने के लिए सेवा शुल्क के साथ लागत की वसूली कर सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति मच्छर प्रजनन की रोकथाम के प्रयोजनार्थ निरीक्षण अधिकारी के आदेश के अंतर्गत या उसके द्वारा किसी भी भूमि या भवन के नीचे या ऊपर कोई भी सामग्री या किसी भी कार्य के निष्पादन में, अनुपयोगी वस्तुओं का रूपांतरण या उन्हें नष्ट या क्षतिग्रस्त करने में निरीक्षण अधिकारी की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं करेगा।

4. यदि कोई व्यक्ति उप-विनियमन (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो निरीक्षण अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, कार्य को पुनः निष्पादित कर सकता है या सामग्री अथवा वस्तुओं को बदल सकता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति से सेवा शुल्क के साथ लागत वसूल की जाएगी।

13. इन विनियमनों के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से निरीक्षण अधिकारी

उचित समय पर ऐसी सूचना लिखित रूप में देने के बाद जैसा वह तर्कपूर्ण समझे, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि या भवन की जांच एवं निरीक्षण कर सकता है तथा ऐसी भूमि या भवन के स्वामी, अधिभोगी को स्थितिनुसार ऐसे प्रवेश

तथा निरीक्षण के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे तथा पूर्वोक्त उद्देश्यों हेतु अपेक्षित ऐसी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे।

14. भारत सरकार या अन्य कोई राज्य सरकार/केंद्र-शासित प्रदेश के क्षेत्राधिकार में अंतर्निहित इन विनियमनों के अंतर्गत किसी भी मच्छर रोधी योजना के क्रियान्वयन या इसके किसी भी कार्य के परिचालन में विवाद या मतभिन्नता की स्थिति में मामला अंतिम निर्णय के लिए भारत सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा।

15. **निर्माण स्थल पर प्रवासी मजदूरों की जांच** — किसी भी निर्माण स्थलों (सरकारी या निजी एजेंसी) के ठेकेदार सभी प्रवासी मजदूरों की मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की जांच करने के लिए निकटतम मलेरिया क्लिनिक या राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार (एनवीबीडीसीपी) या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या स्थानीय निकायों के अंतर्गत तैनात निगरानी दल से जांच कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। निर्माण स्थलों पर ठेकेदारों द्वारा तब तक कोई मजदूर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उसकी उक्त रोगों की जांच नहीं हो जाती।

16. **कर्तव्य के निष्पादन में बाधा निषिद्ध है** — प्रत्येक व्यक्ति इन विनियमनों के तहत जारी किए गए आदेश या शर्त का विधिवत पालन करेगा और कोई भी व्यक्ति इन विनियमनों द्वारा किसी भी व्यक्ति को सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालेगा।

17. **दंड** — इन विनियमनों के तहत जारी आदेश या इन विनियमनों की अवहेलना करने वाला कोई भी व्यक्ति/संस्थान या संगठन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (1860 के 45) के तहत दंडनीय अपराध के रूप में माना जाएगा।

18. **इन विनियमनों के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण**— इन विनियमनों के अंतर्गत सद्भावना से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध असत्य कथन पर कोई भी कानूनी कार्यवाही या अभियोग नहीं चलाया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के नाम और उनके आदेश पर,

एस.एम. अली, विशेष सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES**NOTIFICATION**

Delhi, the 14th October, 2021

No. 6/DGHS/2019/PHW-IV/NVBDCP/Notification of VBDs/4714.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi is satisfied that the National Capital Territory of Delhi is threatened with outbreak of Malaria, Dengue, Chikungunya or any Vector Borne Disease.

And whereas, the Government of National Capital Territory of Delhi is of opinion that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient to prevent the outbreak and spread of vector borne diseases namely Malaria, Dengue, Chikungunya or any other Vector Borne Disease.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of Epidemic Diseases Act, 1897 (Act No. 03 of 1897) and in view of letter no. DO 14-4/2016-17/NVBDCP/MTD/Malaria Elimination/Pt. file dated 26th May 2016 from Joint Secretary, Government of India, DO 14-4/2016-17/NVBDCP/MTD/Malaria Elimination/Pt. file dated 7th June 2016 from Director, National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP), Government of India and DO no. 7-165/2016/NVBDCP/DEN dated 9th June 2016 of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India and all other powers enabling it in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These regulations may be called “The Delhi Prevention and Control of Malaria, Dengue, Chikungunya or any Vector Borne Disease Regulations, 2021”.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the National Capital Territory of Delhi Gazette.
2. **Definitions.**- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “**Infected Area**” means any area of National Capital Territory of Delhi infected with Malaria, Dengue, Chikungunya or any vector borne Disease.
 - (b) “**Regulating Officer**” means State Program Officer, NVBDCP Directorate of Health Services, Government of National Capital Territory of Delhi
 - (c) “**Controlling Officer**” means Municipal Health Officer (MHO) of three Delhi Municipal Corporations (DMCs), MOH (Medical Officer Health) of New Delhi Municipal Council and SHO (Station Health Officer) of Delhi Cantonment Board.
 - (e) “**Inspecting Officer**” means Malaria Inspector/Assistant Malaria Inspector working in local bodies under regulation 9.
 - (f) “**Threatened Area**” means any area, which is declared by the Government of National Capital Territory of Delhi under regulation 3 as Threatened Area.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations shall have the same meaning as assigned to them in the National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) Guidelines, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, as issued time to time.
3. **Notification of area as infected or threatened.**- The Government of National Capital Territory of Delhi on the recommendation of the Director General of Health Services, Delhi may notify in the Gazette and declare-
 - (a) any area in the National Capital Territory of Delhi as an infected Area or threatened area
 - (b) any area contiguous to any infected area in which, in the opinion of State Government, there is danger of outbreak of Malaria, Dengue, Chikungunya or any other Vector Borne Disease.
4. **Appointment of Controlling Officer.**- The Government of National Capital Territory of Delhi may empower the local bodies to appoint a Controlling Officer for any infected or threatened area to carry out all or any of the measure prescribed under these regulations.
5. **Publication of List of infected area and intimation of outbreak of Malaria, Dengue, Chikungunya or any Vector Borne Disease.**- When on the recommendation of the Director General of Health Services Delhi, declared under regulation 3 any area as the infected area, the Principal Secretary, (Health & Family Welfare), Delhi shall cause the details of such area to be published in the Delhi Gazette. He shall also specify therein the information regarding appointment of Controlling Officer and establishment of Active/Passive Surveillance Centers and other Surveillance staff for control, prevention and management of Malaria, Dengue, Chikungunya or any Vector Borne Disease for Epidemiological and Entomological investigation.

- 6. Notification of persons suffering from Malaria, Dengue, Chikungunya or any Vector Borne Diseases:-** When Malaria, Dengue, Chikungunya or any Vector Borne Disease break out at any place, all the health and diagnostic facilities of Central Government, State Government of National Capital Territory of Delhi, local bodies (3 Delhi Municipal Corporation, New Delhi Municipal Council, Delhi Cantonment Board), organized health sector (Railways, ESI etc.), Private Hospitals, Private practitioners and other agencies shall cause the name, contact detail and addresses of persons suffering from Malaria, Dengue, Chikungunya or any Vector Borne Disease to be notified to the concerned Deputy Health Officer in DMCs or their equivalent counterpart in other local bodies/ agencies etc. and they shall in turn report to the respective Controlling Officer/s.
- 7.** Controlling officer of designated Delhi Municipal Council for Vector Borne Disease reporting shall compile all the Vector Borne Disease data and report to Regulating Officer/State Program Officer, National Vector Borne Disease Control Program (SPO NVBDCP).
- 8.** The diagnosis and management of Malaria, Dengue, Chikungunya and other Vector Borne diseases, suspected or confirmed cases needs to be done as per the guidelines issued by the Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India.
- 9. Role and Responsibilities of Regulating Officer.-** Regulating officer shall coordinate with local bodies and Govt. of India and supervise National Vector Borne Disease Control Program in National Capital Territory of Delhi.
- 10. Role and Responsibilities of Controlling Officer.-** In any urban or rural area which is situated in and around threatened area in National Capital Territory of Delhi, the Controlling Officers shall;
 - a.** require every owner or occupier of a building and every medical practitioner to report every case of Malaria, Dengue, Chikungunya or any Vector Borne Disease, which may come to the notice of such owner, occupier or practitioner, to Designated District Nodal Officer of Government of National Capital Territory of Delhi;
 - b.** arrange for the examination of blood of any person suspected to be suffering from Malaria, Dengue, Chikungunya or any Vector Borne Disease and for his treatment and also refer such suspected case to any of the Sentinel Surveillance Hospital, Referral Institute or Higher Institutions as the case may be;
 - c.** carry out or cause to be carried out intensive preventive operations within the area in which such suspected case/ confirmed case has been reported.
 - d.** ensure preventive insecticidal indoor spraying in any type of premises including animal dwelling, streets, shops, slums, villages area or any other type of roofed structures etc.;
 - e.** carry out mass blood examination survey and mass drug treatment in the inhabitant, temporary labor, casual visitors in the affected area, as the situation may demand;
 - f.** give such direction to the contractor or employer at the site of projects like construction sites, roads, buildings, irrigation etc. with a view to prevent and control outbreak of such Disease;
 - g.** direct Inspecting Officers to carry out inspection measures for control of such disease in the desired area and to take corrective measures and submit and Action Taken Report;
 - h.** shall submit the Action Taken Report to Regulating Officer
- 11. (1) No person shall-**
 - (a)** keep or maintain any collection of standing or flowing water in which mosquitoes to breed;
 - (b)** cause, permit or suffer mosquito-genic conditions or such act prohibited by regulations or NVBDCP guidelines;
 - (c)** occupy a new building (Government, Semi Government or Private) unless an occupation certificate is obtained from the Controlling Officer of the respective local body regarding the requirement of anti mosquito system in such premises;
- (2)** The owner or the occupier of any house, building or shed or land shall not keep therein any bottle, vessel, cane, tyres or any other container broken or unbroken in such a manner that is likely to collect and retain water which may breed mosquitoes.
- (3)** All burrow, pits required to be dug in the course of construction and repair of roads, railways, telecommunication, embankment etc., shall be filled so as to ensure that the water does not stagnate therein, where possible and practicable, the burrow pits shall be left clean and drainage shall be ensured.
- (4)** The natural presence of mosquito larvae, pupae in any standing or flowing water shall be evidence that mosquitoes are breeding in such water in premises, Institution and Office or dwelling units.

12. (1) The Inspecting Officer may, by notice in writing require the owner or the occupier of any place containing any collection of standing or flowing water in which mosquitoes breed within such time as may be specified in notice, not being less than Twenty Four hours, to take such measure with respect to the same by physical, chemical, biological and other methods, as the Inspecting officer may consider suitable in the circumstances for the prevention and control of such diseases.
- (2) If the person on whom a notice is served under sub regulation (1) fails or refuses to take measures or adopt the method of treatment specified in such notice within the time mentioned therein, the Inspecting Officer may himself take such measures or adopt the method of such treatment and recover the cost along with service charges for doing so from the owner or occupier of the property, as the case may be.
- (3) No person shall, without the consent of the Inspecting Officer interfere with, injure, destroy or, render useless, any work executed or any material or thing placed in under or upon any land or building by or under the order of the Inspecting Officer, with the object of preventing the breeding of mosquitoes therein.
- (4) If any person contravenes the provisions of sub regulations (3) the Inspecting Officer may re-execute the work or replace the materials or things as the case may be, and the cost along with service charges for doing so, shall be recovered from such person.
13. For the purpose of enforcing the provisions of these regulations, the Inspecting Officer may at all reasonable time, after giving such notice in writing as may appear to him reasonable, enquire and inspect any land or building within his jurisdiction and the occupier or the owner of such land or building, as the case may be, shall give all facilities necessary for such entry and inspection, and supply all such information as may be required for the aforesaid purposes.
14. In case of any dispute or difference of opinion in the execution of any anti mosquito scheme or in its operation of any work under these regulations in which the jurisdiction of the Government of India or Government of any other State/UT is involved, the matter shall be referred to the Government of India for final decision in this matter.
15. Screening of migrant laborers at the construction site.- Contractors of any construction sites (Government or Private agency) shall be responsible for getting all the migrant laborers screened for Malaria, Dengue and Chikungunya at the nearest malaria clinic or surveillance team deployed under National Vector Borne Disease Control Program, GoI (NVBDCP) or by Government of National Capital Territory of Delhi or Local Bodies. No laborer shall be engaged by the contractors at the construction sites unless he/she has been screened for the said diseases.
16. **Obstruction to performance of duty prohibited.**- Every person shall duly comply with an order or requisition issued under these regulations and no person shall obstruct the performance of any of the duties imposed upon anyone by these regulations.
17. **Penalty.**- Any person/Institution or organization disobeying these regulations or order issued under these Regulations shall be deemed to have committed as offence punishable under Section 188 of Indian Penal Code (45 of 1860)
18. **Protection to persons acting under these Regulations.**-No suit or legal proceedings shall lie against any person for anything done or intended to be done in good faith under these regulation.

By Order and in the Name of Hon'ble Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,

S.M. ALI, Spl. Secy. (Health & Family Welfare)